आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०२०-२१ करीता निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-९-वेतन)

**महाराष्ट्र शासन.**
**आदिवासी विकास विभाग**
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक:-६ जुलै,२०२०.

**वाचा -**

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०.
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२० व दि.५.०६.२०२०.

**शासन निर्णय-**

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल,२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्याकरिता (जून, २०२० अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ मध्ये समाविष्ट संबंधित जिल्ह्यांना ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता २५ टक्के निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही बाब विचारात घेऊन सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद **मागणी क्रमांक टी-९ मध्ये समाविष्ट जिल्ह्यांना ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांच्या वितरणासाठी उपलब्ध ३५ % मर्यादेतील तरतूदींपैकी उर्वरीत १० टक्के निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता** देण्यात येत आहे.

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील काही कालावधीसाठी राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. सदर निधीचा वापर कोणतीही प्रलंबित थकबाकी (Arrears) अदा करण्यासाठी न करता नियमित वेतन अदायगीसाठीच करण्यात यावा.

३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१७५४४८२०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Ravindra Digambarro Aute

Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra Digambarro Aute
Date: 2020.07.07 10:52:13 +05'30'

**(रविंद्र दि.औटे)**
**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर.
७. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती.
८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१५. निवड नस्ती (का-६).

| शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ६ जुलै,२०२० सोबतचे विवरणपत्र | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (रू.हजारात) |
| अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष | बाब/ उद्दिष्ट | सन २०२०-२१ अर्थसंकल्पित तरतूद | सदर आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली १०% तरतूद | नियंत्रक अधिकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) | | | | | |
| २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च | | | | | |
| | ०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण | | | | |
| | ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | (३१)जिल्हा योजना | | | | |
| १ | (३१) (०३) जिल्हा ठाणे **(२२२५ ई०७१)** | ०१-वेतन | १६२०० | १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे |
| २ | (३१) (१२) जिल्हा नाशिक **(२२२५ ई१६९)** | ०१-वेतन | ७००६० | ७००६.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक |
| ३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे **(२२२५ ई१७८)** | ०१-वेतन | ८४७० | ८४७.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे |
| ४ | (३१) (१४) जिल्हा जळगाव **(२२२५ ई१८७)** | ०१-वेतन | ५००० | ५००.०० | जिल्हाधिकारी, जळगाव |
| ५ | (३१) (१५) जिल्हा अहमदनगर **(२२२५ ई१९६)** | ०१-वेतन | ८००० | ८००.०० | जिल्हाधिकारी, अहमदनगर |
| ६ | (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार **(२२२५ ई२०२)** | ०१-वेतन | १७४४० | १७४४.०० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार |
| ७ | (३१) (२०) जिल्हा नांदेड **(२२२५ ई२४९)** | ०१-वेतन | ६००० | ६००.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड |
| ८ | (३१) (२४) जिल्हा हिंगोली **(२२२५ ई२८५)** | ०१-वेतन | ४५०० | ४५०.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली |
| ९ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर **(२२२५ ई२९४)** | ०१-वेतन | २३५५ | २३५.५० | जिल्हाधिकारी, नागपूर |
| १० | (३१) (२७) जिल्हा भंडारा **(२२२५ ई३११)** | ०१-वेतन | ५००० | ५००.०० | जिल्हाधिकारी, भंडारा |
| ११ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर **(२२२५ ई३२९)** | ०१-वेतन | २७०५० | २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर |

| शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ६ जुलै,२०२० सोबतचे विवरणपत्र | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (रू.हजारात) |
| अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष | बाब/ उद्दिष्ट | सन २०२०-२१ अर्थसंकल्पित तरतूद | सदर आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली १०% तरतूद | नियंत्रक अधिकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १२ | (३१) (२९) जिल्हा गडचिरोली **(२२२५ ई३३८)** | ०१-वेतन | ३२५०० | ३२५०.०० | **जिल्हाधिकारी, गडचिरोली** |
| १३ | (३१) (३०) जिल्हा गोंदिया **(२२२५ ई३४७)** | ०१-वेतन | ८००० | ८००.०० | **जिल्हाधिकारी, गोंदिया** |
| १४ | (३१) (३१) जिल्हा अमरावती **(२२२५ ई३५६)** | ०१-वेतन | ९८१२ | ९८१.२० | **जिल्हाधिकारी, अमरावती** |
| १५ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ **(२२२५ ई३७४)** | ०१-वेतन | २३६०० | २३६०.०० | **जिल्हाधिकारी, यवतमाळ** |
| १६ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर **(२२२५ ई४०९)** | ०१-वेतन | २३२०० | २३२०.०० | **जिल्हाधिकारी, पालघर** |
| | **एकुण महसुली** | | **२६७१८७** | **२६७१८.७०** | |